

पत्रांक—10 / विविध / आ०प्र०प्रा०—73 / 2015..... / प्राधि०
 बिहार सरकार
 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
 (आपदा प्रबंधन विभाग)
 द्वितीय तल, पंत भवन, पटना—800001
कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना—800001 द्वारा बिहार दिवस, 2016 के अवसर पर दिनांक—22—23 मार्च, 2016 को गाँधी मैदान रिथत प्राधिकरण के पैवेलियन में विभिन्न जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निर्बंधित संस्था, आयकर से निर्बंधित कोटेशनदाता से निम्नांकित कार्यक्रमों के लिए निहित शर्तों के अंतर्गत मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :—

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि
Ham Radio Center	हैम रेडियों के माध्यम से जानकारी देना एवं जिज्ञासा जगाने का कार्य

शर्त :—

- 1) कोटेशनदाता / व्यक्ति को इस प्रकार के पूर्व में इस तरह के कार्यक्रम करने का अनुभव होना आवश्यक होगा एवं एतद संबंधी प्रमाण—पत्र के साथ—साथ कार्यक्रम में विगत दो वर्ष में किये गये इमेन्ट्स का फोटोग्राफ संलग्न करना होगा।
- 2) कोटेशनदाता को उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत की पैवेलियन में जाने वाली गतिविधियों का व्यौरा प्रस्तुत करना होगा।
- 3) जिन संस्था को सरकार द्वारा सेवाकर में छूट मिली हुई हो वे एतद संबंधी प्रमाण—पत्र कोटेशन के साथ संलग्न करेंगे अन्यथा सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
- 4) कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि—**24.02.2016 (समय 5.00 बजे अपराह्न तक)** है। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद कोई कोटेशन स्वीकार नहीं की जायगी।
- 5) सभी कोटेशन **दिनांक—26.02.2016** को प्राधिकरण के कार्यालय में **11.00 बजे पूर्वो** में क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। कोटेशनदाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।
- 6) कोटेशनदाता को आदेश के पश्चात् **दिनांक—22.03.2016** को **10.00 बजे** के पूर्व गाँधी मैदान रिथत पैवेलियन में अपने कार्यक्रम से संबंधित प्रस्तुति की तैयारी करना अनिवार्य होगा।
- 7) किसी प्रकार की जानकारी हेतु प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी, श्री विशाल वासवानी से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा इन कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
- 8) निविदा आंशिक या पूर्ण बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
- 9) सभी कार्य यथा निर्देशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायगी।
- 10) कार्यांपरांत पैवेलियन वाले भाग को यथापूर्वत बनाना होगा।

ह०/-

अवर सचिव

ज्ञापांक—**221** / प्राधि० पटना, दिनांक—**04-2-2016**

प्रतिलिपि—वरीय तकीनकी सहायक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर सर्वसाधारण की सूचना हेतु लोड करेंगे।

3/1/2016
अवर सचिव